संख्या: 171 /2021/1868/चार-2021-82(वि0)/13

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय: जनपद बदायूँ के डायट परिसर में प्रेक्षागृह के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण करायेजाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद बदायूँ के डायट परिसर में प्रेक्षागृह के अवशेष निर्माण कार्यो को पूर्ण कराकर हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने हेतु पुनरीक्षित धनराशि रू0 690.15 लाख के सापेक्ष रू0 50.00 लाख (पचास लाख रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 68/2021/469/चार-2021-82(वि0)/2013, दिनांक 19 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(9) जनपद बदायूँ के डायट परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम/प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाए।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-32-जनपद बदायूँ में प्रेक्षागृह का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या- 171 /2021/ 1868/चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, बदायूँ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- महाप्रबन्धक-जो-7, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, 57 शक्तिनगर कालोनी, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
7- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।